हरिभूमि
सरगुजा-कोरिया भूमि
बिलासपुर, शनिवार, 4 जुलाई 2026
[अम्बिकापुर | सूरजपुर | बलरामपुर | विश्रामपुर | लखनपुर | रामानुजगंज]

तापमान
अधिकतम 34 डिग्री
न्यूनतम 21 डिग्री

2 अशासकीय स्कूलों द्वारा निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने ...

खबर संक्षेप

चटाई पर सो रही महिला को जहरीले सांप ने काटा, मौत

अम्बिकापुर। घर के कमरे में जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही महिला को जहरीले सांप ने डस लिया तो महिला ने पहले सांप को मौत के घाट उतारी फिर घटना की जानकारी परिजन को दी। परिजन महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। जानकारी के अनुसार जशपुर अंतर्गत ग्राम डोकडा निवासी सेबेसिया पति वराता लोमी खेस (46 वर्ष) 20 जून को घर के कमरे में जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही थी। इसी दौरान करैत सांप ने उसे काट लिया। सांप के डसने पर उठी और पहले सांप को मारा फिर घटना की जानकारी परिजन को दी। परिजन तत्काल महिला को परसाबहार अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने महिला की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के पश्चात मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया जहां आज सुबह उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम करने के पश्चात लाश का पोस्टमार्टम कराकर परिजन के सुपुर्द किया है।

पकड़ने पहुंची धनबाद की पुलिस

शहर में छिपा था गैंग्स ऑफ वासेपुर का गैंगस्टर सब्बीर आलम, रह रहा था आम लोगों की तरह

हरिभूमि न्यूज ⏭ अम्बिकापुर

खास बात
- चकमा देकर फिर से हुआ फरार

गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी तो हर किसी ने देखी है लेकिन क्या आपको पता है कि वासेपुर में वाकई में दो गुटों के बीच खुनी खेल चलता था और उससे जुड़े कई गैंगस्टर आज भी मौजूद है और इनमें से ही एक गैंगस्टर सरगुजा में छिपा हुआ था। ऐसा ही एक चौकाने वाला मामला शहर में सामने आया है। शहर में पिछले कई वर्षों से झारखण्ड के वासेपुर का गैंगस्टर छिपा हुआ था। 2001 में वासेपुर के डॉन के मां व चाची की हत्या करने के बाद से फरार चल रहा गैंगस्टर शहर में पहचान बदलकर रह रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब धनबाद पुलिस दोहरे हत्याकांड के मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। हालांकि गैंगस्टर धनबाद पुलिस के हाथ नहीं आया और चकमा देकर भागने में सफल हो गया। वासेपुर के गैंगस्टर के शहर में छिपे होने की घटना से हड़कंप मच गया है।

फरार आरोपी।

बताया जा रहा है कि झारखंड वासेपुर के गैंगस्टर सब्बीर आलम ने अपने भाई व साथियों के साथ मिलकर डॉन फहीम खान की मां नाजमा खातून और चाची शहनाज खातून की 18 अक्टूबर 2001 को धनबाद के डायमंड क्रासिंग के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के दौरान दोनों महिलाएं बाजार से लौट रही थी। गैंगस्टर सब्बीर आलम और डॉन फहीम खान के बीच दुश्मनी के कारण यह घटना हुई थी। इस हत्या के मामले में गैंगस्टर सब्बीर आलम, शाहीद आलम सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। दोहरे हत्याकांड की सुनवाई झारखंड के हाईकोर्ट में चल रही थी और वर्ष 2018 में कोर्ट ने शाहिद आलम व अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है लेकिन इसके पहले वर्ष 2013 में सुनवाई के दौरान कोर्ट से पुलिस को चमका देकर सब्बीर आलम फरार हो गया था और उसके बढ़ से ही उसकी तलाश चल रही थी।

शहर में छिपा था, पुलिस को चकमा देकर

बड़ी बात यह है कि कोर्ट से फरार हुआ गैंगस्टर सब्बीर आलम पिछले कई सालों से शहर में पहचान छिपाकर रह रहा था। इस बात की सूचना मिलने के बाद धनबाद की पुलिस अंबिकापुर पहुंची थी और रिंग रोड में एक होटल के समीप गली में छापा मारा था। चूंकि कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी सादे कपड़े में थे इस लिए स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर सब्बीर फरार हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि धनबाद से आई पुलिस ने अपने छापामार कार्रवाई की सरगुजा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी, जब आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला तो उन्होंने इसकी सरगुजा पुलिस को दी।

बन चुकी है गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म

बता दें झारखंड के धनबाद के कोयला माफियाओं और गैंगस्टरों पर हिट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर भी बनी है जो वर्ष 2012 में रिलीज हुई थी। अनुराग कश्यप की इस फिल्म में माफिया डॉन फहीम खान, गैंगस्टर सब्बीर आलम सहित अन्य लोगों की कहानियां हैं। यह फिल्म काफी चली और लोग आज भी इस फिल्म को देखते है लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का असर गैंगस्टर सब्बीर आलम शहर में आम लोगों के बीच छिपकर रह रहा है।

चल रही है तलाश

धनबाद की पुलिस वारंटी की तलाश में आई थी। इस दौरान उन्होंने सरगुजा पुलिस को सूचना नहीं दी और आरोपी को पकड़ने चले गए। सरगुजा पुलिस ने संयुक्त प्रयास से वारंटी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। आरोपी की तलाश जारी है।

-राजेश अग्रवाल
एसएसपी

सार्वजनिक मंच पर माला पहनाने की सजा, महिला सरपंच के परिवार को किया गया बहिष्कृत

हरिभूमि न्यूज ⏭ अम्बिकापुर

- खैरवार समाज की ओर से दी गई सजा, भाजपा नेता पर लगा उगाही का आरोप, एसपी से शिकायत

आधुनिकता के युग में भी पुरानी कुरीतियां हावी है। आलम यह है कि जनता द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधि भी इस कुरीति के कारण प्रभावित हो रहे है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में ऐसा ही मामला सामने आया है। महिला सरपंच को सार्वजनिक मंच पर सम्मान करने के लिए माला पहनाने पर पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और उन्हें किसी भी कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिलता। समाज में शामिल करने के लिए बकरा भात खिलाना पड़ेगा। वहीं महिला सरपंच व उसके पति को गांव में विकास कार्य करने से रोका जा रहा है और जबरन रुपयों की मांग की जा रही है। महिला सरपंच ने दबाव डालने और उगाही का आरोप लगाकर भाजपा नेता के खिलाफ शिकायत की है लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

बताया जा रहा है कि बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत हरिगवां में पंचायत चुनाव के दौरान महिला सीट से खैरवार समाज की महिला मनबसिया बाई पति देवेंद्र खैरवार ने जीत दर्ज की थी। महिला सरपंच व परिवार का आरोप है कि एक साल पहले हरिगवां में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाजपा नेता मंशाराम साहू ने सम्मान के नाम पर उसे माला पहनाई थी। इस घटना के बाद समाज के लोगों द्वारा परिवार का विरोध करने के साथ ही समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। महिल सरपंच मनबसिया का आरोप है कि सार्वजनिक मंच पर माला पहनाने के बाद उन्हें किसी भी कार्यक्रम का न्यौता नहीं मिलता, सामाजिक रूप से उन्हें किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। इधर महिला सरपंच के पति का कहना है कि किसी महिला को जयमाला पति ही पहनाता है। किसी अन्य द्वारा माला पहनाना अनुचित है। इसी लिए

समाज की ओर से बहिष्कृत किया गया और अब बकरा भात खिलाने के बाद उन्हें समाज में शामिल किया जाएगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि समाज ने उन्हें दोबारा शामिल करने के लिए सामाजिक दंड और कुछ शर्तें भी रखी हैं। परिवार ने इसे अनुचित बताते हुए रघुनाथनगर थाने में लिखित शिकायत दी है।

भाजपा नेता पर उगाही का आरोप

महिला सरपंच मनबसिया और उसके पति का आरोप है कि भाजपा नेता मंशाराम साहू द्वारा माला पहनाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ। वहीं अब भाजपा नेता दवरा उन्हें परेशांन किया जा रहा है। आरोप है कि गांव में सड़क निर्माण के लिए मुरुम डालने के कार्य के दौरान बाधा पहुंचाते हुए गाली गलौज की गई और डेढ़ लाख रूपए की मांग की गई है। दबंग व्यक्ति दवारा जातिगत गाली गलौज किया गया। इस मामले की शिकायत पूर्व रघुनाथनगर थाना, एसपी के साथ ही आईजी से की गई है। अब इस मामले में प्रशासन ने हस्तक्षेप कर समाज के लोगों को समझाइश देने की बात कही गई है।

दी जाएगी समझाइश

मामले की सूचना मिली है। पीड़ति पक्ष का आवेदन थाना प्रभारी, एसपी के पास है। पुलिस इस मामले में अपनी ओर से विवेचना कर रही है। सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा आगे समझाइश देने के साथ ही उचित कार्रवाई करेगा।

-नीर निधि नंदेहा, एसडीएम

अवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई, 4 वाहन जब्त

अम्बिकापुर। जिले में अवैध रूप से खनिज परिवहन पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जिले में अलग अलग स्थानों पर रेत परिवहन कार्य में लगे चार वाहनों को खनिज विभाग ने जब्त करने के साथ ही कड़ी कार्रवाई की है।

बता दें कि कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार कार्रवाई जारी है। खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार खनि अमला द्वारा 2 जुलाई को अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण पर प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। तहसील अम्बिकापुर अंतर्गत ग्राम सरगंवा में खनिज रेत के अवैध परिवहन करते हुए खनिज टीपर वाहन क्रमांक सीजी 15 ईएफ 1437 वाहन मालिक मनीष प्रताप सिंह, टीपर वाहन क्रमांक सोल्ड टीपर 912 वाहन मालिक हरि यादव एवं वाहन टीपर क्रमांक सीजी 15 ईएफ 0149 वाहन मालिक श्रीकांत जायसवाल से जप्त कर निम्न श्रेणी चूनापत्थर खनिज कलेक्टर परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। इसी प्रकार लुण्ड्रा अंतर्गत ग्राम धौरपुर में खनिज साधारण पत्थर वाहन हाईवा क्रमांक सीजी 15 ईएल 0520 वाहन मालिक संतोष अग्रवाल पर अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज चैकी प्रभारी रघुनाथपुर के अभिरक्षा में दिया गया है। सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) एव एमएमडीआर की धारा 21 (5) एवं 23 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 यथा संशोधित 22 जून 2026 के नियम 71 के तहत कारवाई की जाएगी।

खबर संक्षेप

48 लाख की क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने पर पुलिस का कैदी वाहन कुर्क

रामानुजगंज। जिला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में पारित करीब 48 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग के कैदियों के परिवहन में उपयोग होने वाले डग्गा वाहन को कुर्क कर लिया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ के आदेश पर हुई इस कार्रवाई से पुलिस विभाग और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार नारायण यादव एवं अन्य के पक्ष में उच्च न्यायालय ने एमएसी क्रमांक 154/2021 में 3 सितंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग को ब्याज सहित लगभग 48 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस पर आवेदकों की ओर से अधिवक्ता आरके पटेल ने जिला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निष्पादन याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने के कारण अधिनियम राशि की वसूली के लिए शासन की संपत्ति कुर्क की जाए। याचिका पर सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने सबसे पहले बलरामपुर से रामानुजगंज कैदियों को न्यायालय लाने वाले पुलिस के डग्गा वाहन को कुर्क करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए न्यायालय परिसर में वाहन को जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई दिनभर चर्चा का विषय बनी रही। याचिका में पुलिस विभाग के आठ अन्य वाहनों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें बोलेरो और पुलिस बस शामिल हैं। यदि शासन द्वारा शीघ्र क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं कराई जाती है तो इन वाहनों को भी कुर्क कर नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सरकारी विभाग के वाहन की कुर्की जैसी कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती है। न्यायालय के इस कदम को अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

हेल्थ प्लस

तेज डायग्नोस्टिक सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सक कल

अम्बिकापुर। तेज डायग्नोस्टिक एवं माता राजरानी मेमोरियल हॉस्पिटल में रविवार 6 जुलाई 2026 को मस्तिष्क एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष चौरसिया, मनोचिकित्सक (मनोरोग) विशेषज्ञ डॉ.गौरी शंकर

सिंह, गठिया रोग विशेषज्ञ डॉ.बीबी कुमार, पेट एवं आंत रोग विशेषज्ञ डॉ.आकाश गर्ग (7 जुलाई,दिन मंगलवार), ब्रेन एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी विशेषज्ञ डॉ.सौरभ जैन, मनोरोग, नशामुक्ति व सेक्सोलॉजिस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ.निशांत कुमार साहू संबंधित रोगों उपचार एवं परामर्श के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर एवं माता राजरानी मेमोरियल हॉस्पिटल, जोड़ा तालाब के सामने बाबूपारा में उपलब्ध रहेंगे।

दल करेगा निजी स्कूलों की जांच

अशासकीय स्कूलों द्वारा निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने का दबाव, कलेक्टर से शिकायत

हरिभूमि न्यूज ⏭ अम्बिकापुर

प्रशासन के सख्त निर्देश के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभिभावकों को निजी स्कूलों द्वारा निजी प्रकाशकों की किताबें खास दुकान से खरीदने का दबाव देने की शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है।

खास बात
- एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच दल का गठन कर तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप अशासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों द्वारा निजी प्रकाशकों की किताबें दुकान विशेष से खरीदने के लिए दबाव डालने एवं अभिभावकों के मोबाइल पर पुस्तकों की सूची भेजकर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों को कक्षा पहली से लेकर 10 तक निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है इसके बावजूद स्कूल कमीशन की सांठगांठ कर अभिभावकों को निजी चिन्हित दुकान से निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं जबकि शासन द्वारा अशासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को निःशुल्क पुस्तकों से ही पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने से अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है तथा कक्षा पहली की पुस्तकों को खरीदने के लिए दो हजार वहीं कक्षा पांचवी की पुस्तकों के लिए पांच हजार रुपए खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने मामले में निःशुल्क शासकीय पुस्तकें वितरण करने वाले निजी स्कूलों का नाम सार्वजनिक करने की मांग की है तथा निजी स्कूलों पर अभिभावकों को वाट्सएप के माध्यम से निजी प्रकाशकों के किताबों की सूची भेजने का आरोप लगाया है व इसकी त्वरित जांच कराने की मांग की है। उन्होंने स्कूलों पर एनसीईआरटी की निःशुल्क पुस्तकों के साथ ही निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। इस तरह की मनमानी से निःशुल्क पुस्तक अथवा निजी प्रकाशक की पुस्तक अनुपयोगी हो जाएगी क्योंकि पढ़ाई एक ही पुस्तक से होगी।

तीन सदस्यीय जांच दल गठित

अशासकीय स्कूलों की मनमानी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया है। जांच दल में शासकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य एलपी गुप्ता, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल खलिबा की प्राचार्य श्रीमती मीना पुरोहित एवं एपीसी संजय सिंह को शामिल किया गया है। डीईओ ने जांच दल को तीन दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने निर्देशित किया है। इसके पूर्व भी निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर करने की शिकायत पर डीईओ ने विभिन्न अशासकीय स्कूलों की जांच कराई थी। स्कूलों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने के मामले में कुछ स्कूलों के विरूद्ध कार्रवाई की थी। सत्र के प्रारंभ में डीईओ ने निजी स्कूल के प्राचार्यों एवं पुस्तक विक्रेताओं की बैठक लेकर इस तरह की मनमानी नहीं करने के निर्देश दिए थे।

नगर में भगवान जगन्नाथ की 16 जुलाई को निकलेगी भव्य रथयात्रा

हरिभूमि न्यूज ⏭ विश्रामपुर

आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति के महापर्व भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा को लेकर कोयलांचल में भक्तों के बीच काफी उत्साह है। श्री श्री

- नौ दिवसीय धार्मिक महोत्सव की जोर शोर से चल रहा तैयारियां, भक्तों में दिख रहा उत्साह

जगन्नाथ सेवा समिति उत्कल समाज विश्रामपुर-कुम्दा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले नौ दिवसीय धार्मिक महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा भारतीय संस्कृति और वैष्णव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक मानी जाती है। इस दौरान भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र एवं बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाप्रभु के रथ का दर्शन करने और रथ की रस्सी खींचने से भक्तों के जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समिति के अनुसार धार्मिक आयोजनों की शुरुआत 29 जून को देव स्नान पूर्णिमा के साथ हो चुकी है। इसके बाद 14 जुलाई को नेत्र उत्सव, कड़ी चावल भोग एवं भगवान के नवयौवन वेश के दर्शन कराए जाएंगे। महोत्सव का मुख्य आकर्षण 16 जुलाई, गुरुवार को आयोजित होने वाली भव्य श्री गुंणिचा रथयात्रा होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यहां पर 19 जुलाई को वार्षिक उत्सव, 20 जुलाई को हेरा पंचमी एवं महालक्ष्मी यात्रा, 24 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा रथ वापसी, 25 जुलाई को भगवान का मनोहारी स्वर्ण वेश, 26 जुलाई को अधर पंणा तथा 27 जुलाई को नीलाद्री प्रवेश के साथ महोत्सव का समापन होगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
(छ.रा. वि.मं., की उत्तरदायी कम्पनी)

बिजली बंद की सूचना

सम्माननीय विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि, 11 के.व्ही सीकारी रोड फीडर में विद्युत वितरण प्रणाली सुरक्षा एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उददेश्य से कवर्ड कंडक्टर लगाने के कारण निम्नलिखित क्षेत्रों में अंकित तिथि एवं समय पर विद्युत प्रवाह बन्द रहेगा। सम्माननीय उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के लिए खेद है।

क्र.	दिनांक/दिन	समय	फीडर का नाम	प्रभावित क्षेत्र
1	04.07.26 शनिवार	प्रात: 10.00 बजे से 4.00 बजे तक	11 के. व्ही सीकारी रोड फीडर	सीकारी रोड, गाड़ा घाट, बौरीपारा, केनाबांध, स्कुल रोड, पुलिस लाईन, टंगनपारा, थाना चौक, गुरुद्वारा, हीरा हार्डवेयर गली एवं तकिया रोड आदि।
2	07.07.26 मंगलवार	--,,--	11 के. व्ही सीकारी रोड फीडर	सीकारी रोड, गाड़ा घाट, बौरीपारा, केनाबांध, स्कुल रोड, पुलिस लाईन, टंगनपारा, थाना चौक, गुरुद्वारा, हीरा हार्डवेयर गली एवं तकिया रोड आदि।

नोट - आवश्यकतानुसार समयावधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।
स्वहित एवं राष्ट्रहित में उर्जा बचाएँ–
विद्युत चोरी दण्डनीय अपराध है–
असुविधा से बचने के लिए समय पर विद्युत बिल का भुगतान कर

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.क.लि., अंबिकापुर

झारखंड के रामगढ़ से कोरबा जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 10 घायल

हरिभूमि न्यूज ⏭ जशपुरनगर

जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत टांगरपानी में शुक्रवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रामगढ़ (झारखंड) से कोरबा जा रही जय बाला ट्रैवल्स की यात्री बस सुबह करीब 3:30 बजे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने डायवर्शन में पलट गई। हादसे के समय बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे, जो गहरी नींद में थे। बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और घटनास्थल पर अफरा- तफरी का माहौल बन गया।

- तेज रफ्तार बस डायवर्सन पर अनियंत्रित होकर पलटी
- घायलों को कुनकुरी होली क्रॉस अस्पताल में किया गया दाखिल

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। बस में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में 10 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कुनकुरी अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए राहत कार्य पूरा कराया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है।

एक महिला की हालत नाजुक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे में जशपुर निवासी शोभंती भगत (50 वर्ष) एवं उनकी पुत्री रीमा भगत (23 वर्ष) भी घायल हुई हैं। इनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए होली क्रॉस अस्पताल, कुनकुरी में भर्ती कराया गया है। हालांकि गंभीरता की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।

बैरियर से टकराया बाइक सवार लकड़ी तस्कर, अवैध चिरान लोड बाइक जब्त

बिहारपुर। गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में दिनदहाड़े अवैध लकड़ी तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए वन अमले ने लकड़ी लोड बाइक जब्त किया है। घटना कोल्हुआ पोस्ट बैरियर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक युवक बाइक पर अवैध चिरान लोडकर कोल्हुआ पोस्ट बैरियर से गुजर रहा था। मौजूद वनकर्मियों ने चालक को रोका लेकिन वह तेज रफ्तार से बैरियर पार कर भागने की कोशिश करने लगा। वनकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए

तत्काल बैरियर नीचे कर दिया जिससे बाइक चालक बैरियर से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा। उसने भागने की भी कोशिश की लेकिन कर्मचारियों ने अवैध चिरान लोड बाइक को जब्त कर लिया। सूचना पर विभाग के अधिकारी पहुंचे तथा जब्त लकड़ी और बाइक को अभिरक्षा में लेकर वैधानिक कार्रवाई की। अधिकारी चिरान के स्त्रोत, तस्करी में शामिल अन्य लोगों सहित पूरे नेटवर्क की जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि चांदनी बिहारपुर क्षेत्र तथा गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से लगे जंगलों से लंबे समय से अवैध चिरान तस्करी की शिकायतें सामने आती रही है। तस्कर अक्सर दोपहिया वाहनों से जंगलों से चिरान की तस्करी करते हैं।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं प्रिंशी सुपुत्री संतोष निवासी रामपुर, तहसील-चलगली, जिला-बलरामपुर (छ.ग.) मैं शपथपूर्वक कथन करती हूं कि मैं उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूं। मेरा पुरा नाम प्रिंशी है और मैं अपना नाम बदलकर प्रिंशी सोनी (नया नाम) PRINCY SONI करवाना चाहती हूं। मेरे पुराने नाम से किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है और न ही किसी बैंक में ऋण की राशि शेष है। मैं नाम बदलकर, यदि कोई गैर कानूनी काम करती हूं, तो उसके लिए मैं पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार रहूंगी। मैं यह शपथ पत्र अपने पूरे होशोहवास में रहकर हस्ताक्षर कर रही हूं तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं।
जिस हेतु मैं स्वयं का शपथ पत्र निष्पादित कर रही हूं।

भवदीय
प्रिंशी सोनी
आ. संतोष
निवासी- रामपुर, तहसील-चलगली, जिला-बलरामपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं दुर्गा प्रसाद आ.श्री रूपचन्द्र, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम- स्कूल पारा नवाडीह थाना व तहसील -प्रतापपुर, जिला – सूरजपुर (छ.ग.) मैं शपथपूर्वक कथन करता हूं कि मैं उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूं। मैं उपरोक्त पते का मूल निवासी हूं। मेरे पुत्र अभिनास का जन्म दिनांक 23/06/2026 को जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) में हुआ है तथा जन्म के पश्चात उसका जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण संख्या-B202622900380005001 है। मेरे पुत्र अभिनास का जन्म प्रमाण जारी किया गया है उक्त जन्म प्रमाण पत्र में उसका पुकारू नाम-अभिनास अंकित है जबकि उसका सही नाम अभिषेक अंकित व दर्ज कराना चाहता हूँ जो सत्य एवं सही है। मैं अपने पुत्र अभिनास (पुकारू नाम) को विलोपित कराया जाकर उसका सही वास्तविक नाम-अभिषेक, उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज कराना चाहता हूं।
जिस हेतु मैं स्वयं का शपथ पत्र निष्पादित कर रहा हूं।

भवदीय
दुर्गा प्रसाद
आ. श्री रूपचन्द्र
निवासी- ग्राम स्कूल पारा नवाडीह थाना व तहसील - प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग

सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले के ऐसे प्रतिभावान छात्र जो 12वीं के बाद आर्थिक कारणों से BE, M-TECH, M.B.B.S. एवं M.D. प्रवेश लेने के बावजूद आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते है। हम ऐसे छात्रों की प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते हैं, आर्थिक मदद देकर जिससे वे अपने सपनों को पूरा कर लक्ष्य को प्राप्त कर सकें
कृपया ऐसे छात्र निम्न पते पर हमें संपर्क कर सकते है एवं ट्रस्ट की वेबसाईट www.sujanidevitrust.org पर भी online आवेदन कर सकते है
आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026
सुजानी देवी ट्रस्ट
अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.)
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
मुकेश गोयल, प्रतापपुर मो. 09425585471, 09165794999
अजीत अग्रवाल, महामाया कम्प्यूटर्स ब्रम्ह रोड, अम्बिकापुर मो. 9425254169
प्रदीप सिंघल :- 9425547550

सरगुजा वन वृत्त में सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला में दी गई जानकारी

अंबिकापुर। सरगुजा वन वृत्त अंतर्गत सामान्य टेरिटोरियल एवं वन्यजीव प्रभागों के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए गुरुवार को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सरगुजा संभाग के छह वन मंडलों से जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, रेंज अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं शाखा प्रभारी सहित लगभग 120 से 125 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्य वन संरक्षक दिलराज प्रभाकर ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 से लागू है और समय-समय पर इस विषय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित होती रही हैं। पिछले लगभग एक वर्ष से इस प्रकार की कोई कार्यशाला क्षेत्र में आयोजित नहीं हुई थी। इस दौरान आरटीआई से संबंधित कई नए विकास और व्यावहारिक चुनौतियां सामने आई हैं। कार्यशाला के मुख्य संसाधन व्यक्ति एवं ट्रेनर आरटीआई एक्टिविस्ट तथा अधिवक्ता डॉ. डीके सोनी रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को आरटीआई अधिनियम की विभिन्न धाराओं, सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, आवेदनों के निष्पादन,

अपील की व्यवस्था तथा कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही डॉ. डी के सोनी ने अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। कोरिया बैकुंठपुर की डीएफओ श्रीमती प्रभाकर खलखो ने कहा कि आरटीआई को लेकर आम जनता के साथ-साथ कई बार अधिकारियों के बीच भी भ्रांतियां बनी रहती हैं। ऐसे में इस प्रकार की कार्यशालाएं सूचना मांगने वाले और सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षों के बीच बेहतर समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इससे समय पर और सही जानकारी उपलब्ध कराने में सुविधा होती है तथा अनावश्यक विवादों से भी बचा जा सकता है।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी, जिला जशपुर (छ.ग.)
क्रमांक /3221/वाचक-2/अपर कले.2026 जशपुर दिनांक 22/06/2026

//ईश्तहार//

सर्व साधारण को इस ईश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री लुकेश कुमार सिंह पिता श्री चंद्रप्रकाश सिंह, उम्र 31 वर्ष, जाति गोंड, ग्राम खोरमा तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) एवं आवेदिका कु. असरीता तिर्की पिता श्री विनोद तिर्की उम्र 33 वर्ष, जाति उरावं, ग्राम छेराघोघर तहसील कांसाबेल, जिला जशपुर (छ.ग.) द्वितीय पक्ष ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 05 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आशयित विवाह की सूचना दी गई है। उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 22.07.2026 को दोपहर 03.00 बजे मेरे न्यायालय में होगी।
उभयपक्ष में विवाह के संबंध में जिस किसी को आपत्ति करना हो तो निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आज दिनांक 22.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी
जिला जशपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.)
रा.प्र.क्र. /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक इम्मालुकेट लुसी टोप्पो पत्नी अन्थ्रेस टोप्पो, निवासी ग्राम भगवानपुरकला, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम भगवानपुरकला स्थित खसरा नंबर 274/3, 274/4 रकबा 0.030, 0.030 हे. भूमि के नक्शा में त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जॉच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 17/07/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।
आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर, सरगुजा

TOP IN SURGUJA

COURSES OFFERED:
UG COURSES: BCA | BBA | BCOM | BSC BIO | BSC MATHS | BSC CS | BA
PG COURSES: MSC CS | MSC IT | MSC BOTANY | MSC ZOOLOGY | MSC CHEMISTRY | MSC MATHS | MSC PHYSICS | MCOM | MSW | MA HINDI
PROFESSIONAL COURSES: DCA | PGDCA | PGDBM
के आर टेक्निकल कॉलेज SINCE 2008 WWW.KRTC.CO.IN
(एक कौशल केन्द्रित स्नातकोत्तर महाविद्यालय)
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध | छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त
ADMISSION OPEN 2026-27
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (SC, ST एवं OBC विद्यार्थियों हेतु)
विद्यासागर छात्रवृत्ति 30% तक (सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए)
सीमित कोर्स में फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध
COLLEGE CAMPUS: अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन के पास, काली घाट मंदिर के आगे, संजय नगर, छत्तीसगढ़ 9926513170, 9826612781
CITY OFFICE: कृष्ण आभा भवन, रिंग रोड, नमना कला, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ 9826183771

गायत्री हॉस्पिटल
MULTISPECIALITY HOSPITAL CREATING HEALTHY TOMORROW
बनारस रोड, पी.जी. कॉलेज मैदान के सामने, अम्बिकापुर (छ.ग.)
9424250281 | 8120906000 | 8120809000
CGHS से मान्यता प्राप्त
समय :- सुबह 11:00 बजे से शाम 05 बजे तक
हमारी सेवाएं: गर्भावस्था की सम्पूर्ण देखभाल; सुरक्षित प्रसव सुविधा; बांझपन परामर्श एवं उपचार; पीसीओडी/पीसीओएस उपचार; महिला रोगों की जांच व इलाज; सोनोग्राफी एवं आधुनिक सुविधाएं; डिलीवरी (नार्मल एवं सिजेरियन)
अब महिलाओं की हर समस्या का सम्पूर्ण समाधान !
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की सम्पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध
DR. SONAL DUBEY MBBS, MS (OBSTETRICS & GYNAECOLOGY) LAPAROSCOPIC SURGEON

सरगुजा मार्केट

डॉ. शिवानी अग्रवाल
MBBS, MD Pediatrics
देश के श्रेष्ठतम संस्थान PGIMER चंडीगढ़ से प्रशिक्षित नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ
बुखार, खांसी एवं संक्रमण; टीकाकरण एवं ग्रोथ मॉनिटरिंग; नवजात एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष परामर्श; बच्चों की सम्पूर्ण देखभाल
OPD समय: सुबह 10:00 बजे – 2:00 बजे, शाम 5:00 बजे – 7:00 बजे
24×7 इमरजेंसी सेवा उपलब्ध "स्वस्थ बचपन, उज्ज्वल भविष्य
प्रकाश हॉस्पिटल
जिला अस्पताल रोड, रानी तालाब के सामने, अम्बिकापुर (छ.ग.)
अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें मो. 9713667433, 9617247433

THE LOTUS CONSULTANCY JABALPUR
INVITES YOU ALL FOR 2026-27
LOW PACKAGE/MERIT / MANAGEMENT/NRI
MBBS | BDS | MS | MD | BE | B.TECH
ADMISSION STARTED
COLLEGES COUNSELLING; DEEMED COLLEGE COUNSELLING; STATE PVT./ GOVT. COLLEGES; FORM FILLUP ASSISTANCE; LOW PACKAGE
CG, MP, UP, BIHAR, KARNATAKA CHENNAI MAHARASHTRA, DELHI, HARYANA, UTTARAKHAND, etc..
100% Admission Assistance | Available On Sunday in Ambikapur
CALL FOR PERSONAL GUIDANCE ANU SHARMA 9109920477

गुप्त रोग का 100% शर्तिया ईलाज
गुप्त रोग, नामर्दी, नपुंसकता, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, धातु गिरना, जलन, छोटापन, टेढ़ापन, सिफलिस गनौरिया सभी प्रकार के गुप्त रोगों की आयुर्वेदिक दवा द्वारा शर्तिया ईलाज किया जाता है ।
लिंग वर्धक यंत्र भी उपलब्ध
बिना आपरेशन के अण्डकोष, बवासीर, भगंदर का गारंटी के साथ आयुर्वेदिक दवा द्वारा ईलाज
25 साल से स्थायी
संपर्क - विश्वास औषधालय
बिलासपुर रोड, लक्ष्मीपुर शास.स्कूल के पास अम्बिकापुर- मोबा. 7898942870
समय- सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक

DR. ABHIMANYU'S AYURVEDA MULTISPECIALITY HOSPITAL
PAIN | PANCHKARMA | PILES | PEDIA | GYNAE | SKIN
छत्तीसगढ़ का प्रथम 20 बिस्तरीय हॉस्पिटल जो की पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक उपचार को समर्पित
सेक्टर -7 कमल विहार, रायपुर (छ.ग.) 95224-66664, 62622-22003
सिटी सेन्टर - कृष्णा टॉकीज के सामने, समता कॉलोनी रायपुर (छ.ग.) 9826446666
समस्त रोगों का आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इलाज
हड्डी एवं जोड़ों का दर्द • नसों का रोग • त्वचा एवं बालों का रोग • स्त्री रोग • मानसिक रोग • मूत्र संबंधी रोग • मधुमेह (डायबिटीज़) • नेत्र रोग • किडनी संबंधी रोग • पेट संबंधी विकार • थायराइड • अस्थमा • मोटापा • मांसपेशी का रोग • मल द्वार रोग विशेषज्ञ
प्रदेश के समस्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार उपरांत प्रतिपूर्ति (MEDICAL REIMBURSEMENTS) हेतु छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त

खबर संक्षेप

विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित

अम्बिकापुर। छग विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 17 जुलाई तक आहूत है। जिले में प्राप्त होने वाले विधानसभा प्रश्नों का उत्तर समय-सीमा में तैयार कर शासन स्तर में प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे। अति आवश्यक कार्य, अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संबधित कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त कार्यालय प्रमुख, विभाग प्रमुख कलेक्टर से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।

छात्रवृत्ति परीक्षा में बनिया टिकरा मिडिल स्कूल के बच्चों ने मारी बाजी

सेदम। संकुल केंद्र मंगारी के मिडिल स्कूल बनियाटिकरा के कक्षा 8वी के 5 छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता प्राप्त की है जिससे छात्र छात्राओं सहित अभिभावक में हर्ष का माहौल है। बतौली के बनियाटिकरा मिडिल स्कूल के 5 छात्र छात्राएं करिश्मा पैकरा आ. चंदन राम,कमलेश्वरी पैकरा आ. सुखनाथ पैकरा, दीपांजल पैकरा आ. आसन राम, अभिमन्यु केहरी आ.ओम प्रकाश केहरी और अरुण तिर्की आ. बंधन तिर्की ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता हासिल की है। अब इन बच्चों को अगले 4 वर्षों तक प्रतिमाह 1 हजार रुपये की अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्राप्त होगी जिससे इन बच्चों के शिक्षा और सपनों को पूरे करने में मदद मिलेगी। बच्चों को इस परीक्षा में सफलता के लिए शिक्षक सह संकुल समन्वयक लव कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन के साथ प्रधान पाठक देवमती पैकरा, शिक्षिका लिली मॉरिश केरकेट्टा और शिक्षक विनोद दास का विशेष योगदान रहा। संकुल प्राचार्य विनीत कुमार पाल ने बच्चों की उज्वल भविष्य की कामना की है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी शरद चंद्र मेषपाल ने बच्चों की इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दिए हैं। साथ ही आगे की पढ़ाई निरंतर जारी रखते हुए अपने गुरुजनों के बताए गए मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य को हमेशा याद रख कर समर्पण के भाव से परिश्रम करते रहने की सलाह दिए हैं।

हत्या के प्रयास के मामले में फरार 5 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से उद्घोषणा जारी

सूरजपुर। चौकी बसदेई में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है। प्रार्थिया हसीना बीबी द्वारा 14 अप्रैल को चौकी बसदेई में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गई है कि वह ग्राम जूर में रहती है, मो. अयूब के साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा है। घटना दिनांक 14 अप्रैल को प्रार्थिया अपनी सास, ससुर व बहू के साथ खेत काम कर रहे थे, तभी आरोपियों ने लाठी-डंडा लेकर पहुंचे और गाली-गलौज करने के साथ खेत के भगाने लगे और नहीं जाने पर जान से मारने की धमकी दी। हसीना बीबी के पति यासीन हफीजी मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने लाठी-डंडे से यासीन हफीजी पर हमला कर दिया, जिससे पति के सिर में गंभीर चोटें आई। चिकित्सकीय परीक्षण में चोट को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया गया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध घारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(1), 191(2), 109 के तहत अपराध दर्ज किया। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी। न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट भी तामील नहीं हो सका तथा पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सभी आरोपी फरार होकर न्यायिक प्रक्रिया से बच रहे हैं। इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद अयुब अंसारी आ. अवैस करनी, अख्तर रजा आ.मो. अयुब अंसारी, उमर रजा आ.मो. अयुब अंसारी,. असलम अंसारी आ. अनवर हुसैन व सफ़रिन निशा पति मो. अयुब अंसारी के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करते हुए उन्हें 10 अगस्त अथवा उससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चौकी बसदेई पुलिस ने जारी उदघोषणा को आरोपियों के घर के सामने चिपकाया है और उनके घर वालों के सामने एवं गांव वालों के सामने उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया गया है।

कीटनाशक पीने से गंभीर युवती की उपचार के दौरान मौत

अम्बिकापुर। जयनगर थाना अंतर्गत ग्राम लटोरी सुंदरगंज निवासी रितु राजवाड़े आ. बलीराम राजवाड़े (19 वर्ष) 13 जून की रात लगभग 10.30 बजे अज्ञात कारण से कीटनाशक पी कर आंगन में गई तभी वही तड़पने लगी। इसी बीच जब पिता बाहर निकला और बेटी को आंगन में गिरा देख घटना की जानकारी परिजन को दी। परिजन युवती के मुंह से कीटनाशक का गंध आने तथा पास ही कीटनाशक का डिब्बा देख मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। चार दिन बाद भी युवती के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर परिजन रायपुर लेकर चले गए। कुछ दिन बाद युवती की तबीयत में सुधार आने पर छुट्टी कराकर वापस घर लेकर आ गए। 29 जून को युवती की तबीयत खराब होने पर शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम करने के पश्चात लाश का पोस्टमार्टम कराकर परिजन के सुपुर्द किया है।

जंगल के बीच व सड़क किनारे वन विकास निगम की भूमि पर किए थे कब्जा

महेशपुर जंगल में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर वन भूमि पर बने 23 अवैध मकान किए जमींदोज

जेसीबी से अतिक्रमण हटाते वनकर्मी।

हरिभूमि न्यूज ⏭ प्रेमनगर

ग्राम पंचायत महेशपुर स्थित वन विकास निगम की भूमि पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व, पुलिस व वन विकास निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए 23 मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। संयुक्त टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील था।

खास बात
- पूर्व में वन विकास निगम ने वन भूमि को कराया था कब्जा मुक्त

जानकारी के अनुसार महेशपुर जंगल क्षेत्र में अन्य जिलों से आकर कुछ लोगों द्वारा वन विकास निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान एवं अस्थायी झोपड़ी का निर्माण करने लगे थे जिससे धीरे-धीरे यह कब्जा बढ़ता गया और वन भूमि पर स्थायी बसाहट का स्वरूप लेने लगा। मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया था। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत महेशपुर के ग्राम वासियों ने ग्राम सभा की बैठक में वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर चिंता जताई थी और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। ग्रामीणों का कहना था कि वन भूमि पर लगातार हो रहे कब्जे से क्षेत्र का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा था और भविष्य में यह स्थिति और गंभीर हो सकती थी। इधर राजस्व, वन विकास निगम की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान संभावित विरोध और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सीमांकन और चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया गया। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान वन विकास निगम की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए कुल 23 मकानों और अन्य निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम अजय मोडीयम, एसडीओपी, तहसीलदार माधुरी आंचला, थाना प्रभारी विराट बीसी सहित अधिकारी कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे।

हटाया गया था अतिक्रमण

महेशपुर जंगल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की यह पहली कार्रवाई नहीं है। वन विकास निगम प्रेमनगर स्थित महेशपुर गांव में साल 2024 जून माह में जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस के सहयोग से जंगल के भीतर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर बुलडोजर चला कर जमीदोज कर दिया था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में लगभग 40 घरों पर एक साथ पांच बुलडोजर चला कर काबिज सभी वन भूमि को खाली करा दिया गया था। इस बीच कई बार संयुक्त टीम को कब्जाधारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। प्रशासन की कार्रवाई के बाद कुछ समय तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन बाद में फिर से कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।

बेच देते है भूमि

ग्राम पंचायत महेशपुर के ग्रामीणों का कहना है कि जंगल के बीच दूसरे जिले से लोग आकर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण करते है। जंगल की पेड़ो की कटाई कर उसी लकड़ी से झोपड़ी बनाते है। साथ ही अन्य जिले से के लोगों को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दिखा कर औने पौने दाम पर बिक्री कर देते है। वन भूमि पर अवैध कब्जा का खेल लंबे समय से चल है।

जारी रहेगा कार्रवाई

अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध की गई यह कार्रवाई शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्धेश्य से की गई है। पुनः अवैध अतिक्रमण किया गया तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

-अजय मोडीयम, एसडीएम

एकता वृक्ष अभियान के तहत एसएसपी ने पुलिस लाईन में किया पौधरोपण

सूरजपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला स्तरीय एकता वृक्ष अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों व जवानों द्वारा पुलिस लाईन में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने फलदार पौधे लगाकर देश की एकता, अखंडता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एकता वृक्ष अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एकजुट करके पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण के प्रति जागरूक करना है। यह कार्यक्रम बिगड़ते पर्यावरण संतुलन, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ व सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने हेतु कारगर साबित होगा। पुलिस लाईन में एसडीओपी अभिषेक पैंकरा, रक्षित निरीक्षक अशोक गिरी सहित बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी व जवानों ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया।

प्रवेशोत्सव में शामिल बच्चे।

शासकीय कन्या स्कूल में हुआ संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव

हरिभूमि न्यूज ⏭ बिश्रामपुर

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विश्रामपुर में संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इस वर्ष नवप्रवेशी बच्चों को ही कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया, जिससे शिक्षा के प्रति सम्मान एवं विद्यालय से आत्मीय जुड़ाव का प्रेरणादायी संदेश दिया गया।कार्यक्रम में नगर पंचायत बिश्रामपुर अध्यक्ष निर्मला यादव, नगर पंचायत शिवनंदनपुर के अध्यक्ष रितेश जायसवाल, नपं बिश्रामपुर उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ नागरिक तोलाराम जैन, श्यामा पांडेय, राजेश यादव, कृष्ण गोयल, पार्षद रविशंकर बउवा, गोपाल विद्रोही, सूरज सेठी, मोहिनी झा, अमित मित्तल, राहुल सिंह एवं प्रकाश सिन्हा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

- नवप्रवेशी बच्चों को बनाया गया मुख्य अतिथि

संकुल प्राचार्य आशीष कुमार भट्टाचार्य ने संकुल का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संकुल की शैक्षणिक उपलब्धियों, विभिन्न गतिविधियों एवं भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्य आकर्षण के रूप में कक्षा 5 वीं, 6 वीं एवं 9 वीं के नवप्रवेशी विद्यार्थियों का अतिथियों द्वारा तिलक लगाकर, मिष्ठान खिलाकर, पाठ्यपुस्तकों एवं विद्यालयीन गणवेश का वितरण करते हुए शाला प्रवेश कराया गया। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 5 वीं की काजल कुशवाहा कक्षा 8 वीं की तंजीला परवीन, कक्षा 10 वीं की प्रिया सिंह तथा कक्षा 12 वीं की सायमा को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मान प्रदान किया गया। खेल के क्षेत्र में विद्यालय का नाम गौरवान्वित करने वाली छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर चांदनी तथा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली चंचल सिंह एवं अंकिता सिंह को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया।विद्यालय के नवनिर्वाचित यूथ क्लब के पदाधिकारी छात्राओं को वरिष्ठ नागरिक तोलाराम जैन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नगर पंचायत बिश्रामपुर अध्यक्ष निर्मला यादव, श्यामा पांडेय एवं मोहिनी झा ने छात्रा पदाधिकारियों को बैज पहनाकर उनका सम्मान किया। अतिथियों द्वारा विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। अंत में संकुल समन्वयक गौरीशंकर पांडेय ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता मेरी दिव्या लकड़ा, राजवंत सिंह एवं गौरीशंकर पांडेय ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विद्यालय के वरिष्ठ एवं पूर्व व्याख्याता रतिपाल मिश्र,अमर जैन व अन्य उपस्थित रहे।

नारेबाजी के साथ किया गया पुतला दहन, सरकार पर लगाए आरोप

नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

अंबिकापुर। रायपुर के माना स्थित नकटी गांव में विधायक कॉलोनी बनाने के नाम पर बरसात में गरीबों के 85 घरों पर भाजपा सरकार की बुलडोजर करवाई के विरोध में शुक्रवार को सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया।

सोमवार को प्रदेश की भाजपा सरकार ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर भरी बरसात में 85 घरों पर बुलडोजर चला दिया। इनमें 32 मकान इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। इस गांव के ग्रामीणों को स्थानीय भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आश्वासन दिया था कि बरसात में किसी व्यक्ति का घर नहीं तोड़ा जाएगा। इस आश्वासन के बावजूद भी सोमवार को प्रशासन ने गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया। गुरुवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ग्राम नकटी के दौरे पर गए थे और प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की थी। इसके उपरांत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश भर में पुतला दहन के कार्यक्रम की घोषणा की। जिसके अनुसरण में आज पूरे प्रदेश के साथ सरगुजा जिले मुख्यालय अम्बिकापुर में घड़ी चौक पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। गुरुवार को नकटी गांव के दौरे के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सोसल मीडिया पर राज्य सरकार की इस कार्रवाई को अमानवीय और असंवेदनशील करार दिया था। इस घटना को लेकर भाजपा के अंदर भी सरकार और प्रशासन के प्रति असंतोष देखा जा रहा है। इसे ही रेखांकित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि भाजपा सांसद इस मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि मानसून में लोगों के घरों को उजाड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री को एक अक्षम प्रशासक बतलाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास आमजनता और मीडिया के सवालों का जवाब नहीं है। हर बात पर उनका बस एक ही जवाब है मोदी की गारंटी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते प्रदेश और इसकी जनता के लिये उनकी कोई गारंटी है कि नहीं। पुलिस के साथ भारी झूमा-झटकी के दौरान पुतला दहन के इस कार्यक्रम में जेपी श्रीवास्तव, हेमंत सिन्हा, संजय विश्वकर्मा, मो. इस्लाम, इंद्रजीत सिंह धंजल, सत्येंद्र तिवारी, जग्गनाथ कुशवाहा, नुरुल अमीन सिद्दकी, दुर्गेश गुप्ता, प्रशांत सिंह चीकू, सरोज साहू, एपी शांडिल्य, डॉ. लालचंद यादव, अतुल तिवारी, रसीद अहमद, संजय सिंह, शांतनु मुखर्जी, जमील खान, लोकेश कुमार, अमित तिवारी राजा, विकल झा, जीवन यादव, धर्मेंद्र ताम्रकार, चंद्रप्रकाश सिंह, रजनीश सिंह, नीतीश चौरसिया, निकी खान, सतीश बारी, शुभम जायसवाल, विनोद एक्का, हिमांशु जायसवाल, काजू खान, मालती सिंह, परवेज़ आलम गांधी आदि उपस्थित थे।

पंचायत की मांग और उपयोगिता पर आधारित होंगे कार्य: कलेक्टर

हरिभूमि न्यूज ⏭ बैकुण्ठपुर

बीते एक जुलाई से पूरे देश की तर्ज पर कोरिया जिले में भी वीबीजीरामजी योजना ग्रामीण लागू हो गई है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने पूरे जिले में कार्य की मांग के आधार पर प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला पंचायत सीईओ डॉ . आ शु तो ष चतुर्वेदी ने वी बी जी रा म जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों में कार्यों के चिन्हांकन से लेकर ग्राम सभा की अनुमति, तकनीकी प्राक्कलनों को तैयार करने में जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किए जाने के लिए जनपदों को पत्र जारी कर दिया है। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पहले से अकुशल रोजगार के लिए चल रही मनरेगा योजना के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत अनेक कार्य प्रगतिरत हैं। इन सभी अपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण कराया जाना है। खासकर जिलेभर में चल रहे मिट्टी मूलक कार्य, आजीविका तालाब, डबरी, पौधरोपण, नर्सरी एवं आंगनबाड़ी निर्माण कार्यों को मास्टर रोल जारी कर कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

कलेक्टर रोक्तिमा यादव

प्रधानमंत्री आवास योजना प्राथमिकता

कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने जिले में प्रगतिरत सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए जिले में हितग्राहियों के मैप जाब कार्ड के आधार पर प्रत्येक हितग्राही की लंबित मजदूरी के लिए शेष सभी दिवस के मास्टर रोल शीघ्र जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं। सभी ग्राम पंचायतों में वर्षा जल संरक्षण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने भू-जल पुर्नभरण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े प्रत्येक कार्य को अविलंब शुरू करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं, इसके तहत जिले में स्वीकृति अनुसार रिचार्ज शाफ्ट, इंजेक्शन वेल, पकोर्लेशन टैंक एवं स्ट्रैगरड ट्रेंच कार्यों को प्राथमिकता देते उन्होंने कहा है कि जल दूत ऐप से प्राप्त डाटा का एनालिसिस करे जहां जल स्तर कम हुआ है।

पर्यावरण संरक्षण कार्य जरूरी

जिले की हरीतिमा को बचाए रखने के लिए सीएलएफ के माध्यम से पौधरोपण, ट्रीगार्ड निर्माण से फेंसिंग कराए जाने तथा प्रत्येक सीएलएफ के माध्यम से कम से कम 50 हजार फलदार पौधों का उत्पादन कार्य देने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कम से कम 6 हेक्टेयर भूमिखंड चयनित कर न्यूनतम चार स्थानों पर वृहद स्तर पर रेशम कीट उत्पादन करने के लिए पौधरोपण कार्य प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह प्राथमिकता क्रम रोजगार सृजन, जल संरक्षण एवं ग्रामीण विकास को गति देने में सहायक होगा।

कलेक्टर ने किया सार्वजानिक स्थलों व संस्थानों का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

बायो-मेडिकल वेस्ट के नियमों से समझौता नहीं, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज ⏭ बलरामपुर

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिला मुख्यालय बलरामपुर के विभिन्न सार्वजनिक एवं संस्थागत परिसरों तथा अधोसंरचनात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, एसआरएलएम सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर, निर्माणाधीन मांगलिक भवन एवं ऑफिसर्स क्लब का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण की शुरुआत में बस स्टैंड पहुंच कलेक्टर ने परिसर की साफ-सफाई, भवन की स्थिति, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेते हुए नियमित साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। तत्पश्चात ऑडिटोरियम भवन का निरीक्षण करते हुए वहां स्थापित एयर कंडीशनर, विद्युत व्यवस्था, पंखों एवं अन्य उपकरणों की स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को भेजने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर मुख्यालय के वार्ड क्रमांक-2 स्थित एसआरएलएम सेंटर पहुंचीं, जहां स्व-सहायता समूह की महिलाएं घर-घर से एकत्रित कचरे का पृथक्करण कर रही थीं। उन्होंने समूह की महिलाओं से संवाद कर कचरे के पृथक्करण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि सूखा, गीला एवं अन्य अपशिष्टों को

अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर उनका निष्पादन किया जाता है। कलेक्टर ने वहां स्थापित मशीनों, उपकरणों तथा कचरा पृथक्करण की पूरी प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल वेस्ट के रूप में सेग्रिगेशन शेड में सिरिंज मिलने पर कलेक्टर ने गंभीरता व्यक्त की। समूह की महिलाओं ने बताया कि यह अपशिष्ट मेडिकल स्टोर्स से निकलने वाले कचरे के साथ पहुंच रहा है। इस पर कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को टीम गठित कर मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण करने तथा बायो-मेडिकल वेस्ट के वैज्ञानिक एवं नियमानुसार निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई मेडिकल प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई, आवश्यक होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। कलेक्टर ने सेग्रिगेशन शेड में एकत्रित प्लास्टिक, सीमेंट की खाली बोरियों तथा अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कह कि स्थानीय कबाड़ व्यवसायियों एवं संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर इन सामग्रियों का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता, परामर्श एवं अन्य सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने अधूरे मांगलिक भवन की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से लेकर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने ऑफिसर्स क्लब पहुंच परिसर में संरक्षित आदिवासी संस्कृति से जुड़े पारंपरिक आभूषणों, कृषि एवं दैनिक उपयोग के प्राचीन औजारों तथा अन्य विरासत सामग्री का अवलोकन किया। उन्होंने इन अमूल्य धरोहरों के संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए परिसर में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर तत्काल रोक लगाने तथा संग्रहित सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर एसडीएम अभिषेक गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपक एक्का सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

गोपनीय गोदाम में खाद का भण्डारण 242 बोरी अवैध खाद किया गया जब्त

अम्बिकापुर। खाद की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण पर कार्रवाई करने उप संचालक कृषि पीताम्बर सिंह के नेतृत्व में निकली विभाग की टीम ने शुक्रवार को विकासखण्ड लुण्ड्रा अंतर्गत ग्राम रघुनाथपुर में संचालित मे.शुभम फर्टिलाइजर्स की आकस्मिक जांच की। जांच में उर्वरकों के अवैध भण्डारण पर टीम ने 242 बोरी खाद जब्त किया है साथ ही स्टॉक में अंतर आने पर संचालक को नोटिस जारी किया गया है।

■ स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर संचालक को नोटिस

जांच में संचालक द्वारा विभाग को सूचना दिए बिना अन्यत्र गोदाम में 148 बोरी यूरिया तथा 94 बोरी डीएपी का भण्डारण किया गया था तथा वही से खाद का विक्रय किया जा रहा था। गोदाम बदलने की सूचना विभाग को नहीं देने के कारण अधिकारियों ने इसे अवैध भण्डारण मानते हुए जब्ती की कार्रवाई कर दुकान से जब्त खाद को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने के निर्देश के साथ दुकान संचालक के सुपुर्द किया। अधिकारियों ने खाद के स्टॉक एवं क्रय-विक्रय के पंजी का निरीक्षण किया तो कई अनियमितताएं मिली। मामले में विभाग द्वारा दुकान संचालक से प्रदीप कुमार गुप्ता को नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान उप संचालक श्री सिंह ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन में राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा अवैध भण्डारण एवं खाद की कालाबाजारी के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। खाद की कृत्रिम किल्लत पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा तथा अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।